



2026:AHC:33046

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट- ए संख्या-4938 सन् 2024

अमरजीत सिंह

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : कमल कृष्ण रॉय, प्रबल प्रताप, रमेश कुमार
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश कुमार की ओर से उपस्थित श्री डॉ० ओम प्रकाश यादव (एओआर) और राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस० के० पाल को सुना।

2. चूंकि दोनों पक्षों के बीच प्रतिवाद और प्रत्युत्तर शपथपत्रों का आदान-प्रदान हो चुका है और आगे कोई शपथपत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं, इसलिए रिट याचिका का निर्णय सुरुआती स्तर पर किया जा रहा है।

3. याचिकाकर्ता ने पहले वाराणसी के एसएमपी द्वारा पारित आदेश दिनांकित 13.03.1994 को चुनौती देते हुए सिविल विविध रिट याचिका संख्या 10034 सन् 1996 दाखिल की थी, जिसमें याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त किया गया था, और साथ ही वाराणसी के पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा पारित आदेश दिनांकित 25/26.10.1995 को भी चुनौती दी गई थी, जिसमें अपील खारिज कर दी गई थी। रिट याचिका का निर्णय दिनांक 16.10.2003 को निम्नलिखित तरीके से किया गया था।-

“मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मेरी राय में, संचयी प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि रोक देना और बिना पिछले वेतन के सेवा में बहाल करना पर्याप्त और उचित दंड होगा। तदनुसार, यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी संख्या 3 के समक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह के भीतर सेवा में बहाल किया जाए।

2

हालांकि, याचिकाकर्ता की संचयी प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी, और वह बर्खास्तगी की तिथि से बहाली की तिथि तक वेतन का हकदार नहीं होगा, लेकिन अन्य सभी प्रयोजनों के लिए उसे सेवा की निरंतरता दी जाएगी।”

4. इसके बाद, याचिकाकर्ता को बहाल कर दिया गया। याचिकाकर्ता के अनुसार, उसे 30.09.2023 को सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेच्युटी, निधि, नकदीकरण और पेंशन सहित सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों का भुगतान नहीं किया गया है, इसलिए यह रिट याचिका दाखिल की गई है।

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 की ओर से दिनांक 05.07.2024 को सर्कल ऑफिसर, फूलपुर, जिला आजमगढ़ द्वारा शपथपूर्वक प्रति शपथपत्र दाखिल किया गया है, जिसके पैरा 16 में निम्नलिखित कथन किए गए हैं:

रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 25 से 28 में उल्लिखित बातें स्वीकार नहीं हैं, अतः इसे अस्वीकार किया जाता है। इसके उत्तर में यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता की सेवा अवधि और सेवानिवृत्ति लाभों का उचित निर्धारण किया गया था। याचिकाकर्ता की सेवा संबंधी गणना याचिकाकर्ता के चरित्र रजिस्टर में दर्ज है। याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति के बाद वे सभी लाभ दिए गए हैं जिसके वह हकदार थे। उदाहरण के लिए, याचिकाकर्ता को 229 दिनों की छुट्टी का नकदीकरण सीओ संख्या 1708 दिनांकित 19.12.2023 के माध्यम से 3,66,400 रुपये और बीमा सीओ संख्या 2090 दिनांकित 19.12.2023 के माध्यम से 88,420 रुपये का भुगतान किया गया है। उपरोक्त के अलावा, अनंतिम ग्रेच्युटी 90 प्रतिशत 6,04,800 रुपये, अनंतिम ग्रेच्युटी 10 प्रतिशत 67,200 रुपये और परिकलन राशि का भुगतान किया गया है। 7,37,360/- रुपये पेंशन के बदले 7,21,851/- रुपये का भुगतान किया जा चुका है। पेंशन की गणना के आधार पर याचिकाकर्ता की कुल पेंशन 18,75,000/- रुपये थी, जिसमें से 40 प्रतिशत यानी 7,50,000/- रुपये याचिकाकर्ता द्वारा परिवर्तित किए गए थे। शेष 11,25,000/- रुपये में वर्तमान मुद्रास्फीति दर जोड़कर भुगतान किया जा रहा है। इस संबंध में, पत्र संख्या 257/ 2021 दिनांकित 17.10.2023, अवकाश नकदीकरण भुगतान, बीमा भुगतान और पेंशन गणना की फोटोकॉपी संयुक्त रूप से उपाबंध-09 के रूप में संलग्न की जा रही है। याचिकाकर्ता के जीपीएफ की कटौती नहीं की जा रही थी।”

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि कुछ ऐसे लाभ हैं जो याचिकाकर्ता

3

को नहीं दिए गए हैं।

7. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि संपूर्ण लाभों का भुगतान पहले ही ही किया जा चुका है और यदि कुछ लाभ ऐसे हैं जिनका भुगतान याचिकाकर्ता के अनुसार नहीं किया गया है और वे बकाया हैं तो याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी संख्या 4 से संपर्क कर सकता है।

8. इस प्रकार की दलील पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है।

9. बार की ओर से प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतीकरण पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है और याचिकाकर्ता को यह छूट दी जाती है कि वह 13.03.2026 तक एसएसपी जिला आजमगढ़ के के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करे, जिसमें रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आज पारित आदेश की प्रमाणित प्रति सम्मिलित हों। इस अभ्यावेदन पर चौथे प्रत्यर्थी इस मामले की जांच करेंगे और उसके बाद चार महीने की अवधि के भीतर उचित आदेश पारित करेंगे। यदि चौथे प्रत्यर्थी का मत है कि इस मामले का निवारण किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना आवश्यक है, तो याचिकाकर्ता को उचित सूचना देते हुए संबंधित प्राधिकारी को दस्तावेज भेज दिये जाएंगे। इसके अतिरिक्त, यदि याचिकाकर्ता से कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, तो याचिकाकर्ता को इस संबंध में अवसर प्रदान किया जाएगा।

13 फरवरी, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"